

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 992] No. 992]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 3, 2013/वैशाख 13, 1935

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 3, 2013/VAISAKHA 13, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 3 मई, 2013

का.आ. 1131(अ) – केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परियहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के 500.000 किमी से 634.000 किमी (चलसा से सिलीगुड़ी से दलकोला सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 358 (अ), तारीख 1 मार्च, 2012 का अधिक्रमण करते हुए,

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के 522.700 किमी से 551.000 किमी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों और विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत करने तथा संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था।

और, जबिक अब किमी 507.000 से 522.700 किलोमीटर तक का निर्माण पूरा हो चुका है; 1803GI/2013 (1) अतः अब, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर संशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सइक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 358 (अ), तारीख 1 मार्च, 2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन तथ्यों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी हैं या पूर्व में विलोपित करा दी गई है, उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सइक खण्ड की निवल लम्बाई 44.000 किमी हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है), द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के 507.000 किमी से 551.000 किमी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों और विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत करने तथा संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था।

सारणी -1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (अ.म्.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

 नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्निलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
किमी/चैनेज 547.350 (दार्जिलिंग जिले में पश्चिम मदाती गांव	44.000
के पास)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- 2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जायेगा, अर्थात:-

संदेय राशि	अनुजात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक माह

- 4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय अनुजा पत्र के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्त के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
- 5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुजेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुजेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

- 7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
- 8. ऊपर सारणी 1 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 422.02 करोड़ रूपये हैं। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का अभिलेख रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में उगाही गई उपभोक्ता शुल्क की राशि से कुल 14.82 करोड़ की वसूली हुई।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/443/09-10/सीओ/जीसी-सिलीगुडी(507-551)]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May 2013

S.O. 1131(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 500.000 to kilometer 634.000 (Chalsa to Siliguri to Dalkola section) of National Highway No. 31 in the State of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rule, 2008, the Central Government by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.358 (E) dated 1st March, 2012, authorized

Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of four and more lane sections from Kilometer 522.700 to Kilometer 551.000 on National Highway No. 31 in the State of West Bengal at the rates and category of vehicles specified in its schedule.

And whereas, now the construction of stretch from Km 507.000 to Km 522.700 has been completed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification number S.O. 358 (E), dated the 1st March, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length 44.000 Km (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section from kilometer 507.000 to kilometer 551.000 (hereinafter referred to as the "said stretch") on the National Highway No. 31 in the State of West Bengal and

authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plazas:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 547.350 (near Paschim Madati village in Darjeeling district)	44.000

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of	Period of validity
	one way journeys allowed	

1803 GI/13-2

One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

- 4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
- 8. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the authority and published and will further be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
- 9. The capital cost of the project is Rupees 422.02 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules. A total of Rs 14.82 crore has been recovered from user fee realized till 31.03.2013.

[F.No. NHAI/13013/443/09-10/CO/GC-Siliguri (507 - 551)]

Sanjay Bandopadhyaya, Jt. Secy.

DATA collection Sheet for Toll information System (TIS)

Please fill-up a separate sheet for each toll plaza location

1. Type of Plaza: [Public Funded/ OMT/ BOT(Toll)/ BOT(Annuity): (Strike out whichever is not applicable)

2. Toll Plaza Name: Surjapur toll Plaza

3. Full name of Concessionaire/ Contractor: M/s Konark Infrastructure Pvt. Ltd.

4. Toll Plaza Location: 451.000

5. Toll plaza latitude and longitude: Latitude: 25°53′24.3492″, Longitude: 87°49′26.925″

6. National Highway Number: 31

7. State / Union Territory: State of West Bengal

8. Commercial Date of Operation/Date of Start of Toll Collection: 30/04/2012

9. Date of fee notification: 01/03/2012

10. Effective date of current toll rates: 01/04/2013

11. Due date of toll rate revision: 01/04/2014

12. Current Toll rates:

(Category of vehicles as applicable)

Category of Vehicle	Single Journey	Return Journey	Monthly Pass	Single Journey for Commercial Vehicle/ Registered within the District of Fee Plaza
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	50	70	1600	25
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	80	115	2590	40
Bus or Truck (Two Axles)	165	245	5425	80
Three-Axle Commercial Vehicles	175	265	5915	90
Multi Axle Vehicle (MAV) (four to Six axles)	255	385	8505	130
Oversized Vehicles (seven or more axles)	310	465	10355	155

12. (a) Concessions:

- i. Monthly pass applicable for local non-commercial vehicles: Rs. 215/-
- ii. Mention any other Concessions: N.A.

- **13. Cumulative toll revenue** (in ...Cr) 41.42 As on date <u>15/12/2013</u>
- 14. Traffic at toll plaza (PCUs/day) 22500 As on date 31.03.2013
- **15. Target Traffic plaza (PCUs) -** 24000 As on date <u>31.03.2014</u>
- 16. Design capacity of project highway plaza (PCUs/day) 25000 40000
- 17. Capital cost of project (in case Public funded) / Total Project Cost (in case of BoT) (Cr) 186.27 Crore
- 18. Name of toll plaza Manager/Contractor: Mr. Sanjay Tripathi
- 19. Contact details of toll plaza Manager/Contractor: 09563394542
- 20. Please also provide one image of toll plaza & a soft copy of the concerned Gazette notification



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Hi. 317] No. 317] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 2012/फाल्गुन 11, 1933

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2012/PHALGUNA 11, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2012

का.आ. 357(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 196(अ), ताग्रेख 6 मार्च, 2000 जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 196(अ), ताग्रेख 6 मार्च, 2000 कि.मी. से 419.000 कि.मी. और 470.000 कि.मी. से 419.000 कि.मी. और 470.000 कि.मी. तक (दलखोला-इसलामपुर उप सेक्शन 1) 476.150 कि.मी. तक (पूर्णिया-गोयरकता सेक्शन) और 447.000 कि.मी. से 470.000 कि.मी. तक (दलखोला-इसलामपुर उप सेक्शन 2) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें अगर 476.150 कि.मी. से 500.000 कि.मी. (दलखोला-इसलामपुर उप सेक्शन 2) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर 447.000 कि.मी. से 498.970 कि.मी., करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर 447.000 कि.मी. से 498.970 कि.मी., करते कुल लम्बाई 51.970 कि.मी. तक के खण्ड के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यानों पर चार और अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु निवल सड़क खंड की लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर'' कहा गया है) उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने पदधारियों के माध्यम से अथवा ठेकेदार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रह करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

	- 1	`	-
4	रण	T	1

यान का प्रकार आधार वर्ष 20 आधार	07-08 के लिए प्रति किलोमीटर फीस की दर (रुपये में)	
(2)	(3)	
	0.65	
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	1.05	
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	2.20	
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.40	
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान भारी संनिर्माण मशीनरी (भ. सं. म.) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर	3.45	
भारा सामिनाज नेसा ति () स्ता स्व प्रुयः) (चार से छह धुरी) (अ. मू. उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (चार से छह धुरी) अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20	

टिप्पण :

 नीचे उद्गृहीत तथा संग्रहीत शुल्क ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा:

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)				
51.000 कि.मी. (सुरजापुर गांव के पास, उत्तर दिनाजपुर ज़िले		लंबाई (कि.मी.	ों) जिसके लिए	र फीस संदेय है
क्या पर प्राचीत्र भाव के पास, उत्तर दिनाजपर जिले	में) ::::			

- 2. वर्ष 2011-12 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 190.00 (एक सौ नब्बे रुपये मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 कें प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है।
 - 3. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:—

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की		संदाय के समय से चौबीस घंटे
रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

- 4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक यान (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे यानों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के यान के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा परंतु यह कि ऐसे वाणिज्यिक यानों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड
- 5. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुमत्य भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यात्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 6. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएँ नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
 - 7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 8. उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, शुल्क की दरों को वार्षिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा परंतु यह कि छह महीने के भीतर कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।
- 9. सुरजापुर शुल्क प्लाजा के लिए, परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 186.27 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोक्ताओं से प्राप्त किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का अभिलेख रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद उद्गृहणीय शुल्क की दरों को घटाकर दरों का 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इनका वार्षिक रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/677/11-12/सी.ओ./जीसी सिलीगुडी (447-498.970)]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

टिप्पण :—भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 13(अ) तारीख 5 जनवरी, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2012

S.O. 357(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 196 (E), dated the 6th March, 2000, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from kilometer 410.000 to kilometer 419.000 and kilometer 470.000 to kilometer 476.150 [Purnea - Goyerkata Section] and from kilometer 447.000 to kilometer 470.000 (Dalkhola to Islampore sub-section 1) and from kilometer 476.150 to kilometer 500.000 (Dalkhola to Islampore sub-section 2) of National Highway No. 31 in the State of Bihar and West Bengal respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section from kilometer 447.000 to kilometer 498.970, total length being 51.970 kilometers on the National Highway No. 31 in the State of Bihar and West Bengal and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table 1

	Type of vehicle					Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)		
	1						2	
Car Ice	p, Van or Light Motor V	/ehicle					0.65	
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus						1,05	8	
Bus or Truck (Two Axles)							2.20	
Three-axle commercial vehicles						2.40		
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment						3.45		
(EME)	or Multi Axle Vehicle (N	(AV) (four to six	axles)					
Oversized Vehicles (seven or more axles)						4.20	-	

Notes :-

 The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plazas:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable			
Km. 451.000 (near Surjapur village in Uttar Dinajpur district)	51.970			

- 2. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 190.00 (rupces One Hundred Nitey only) for the year 2011-12 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
 - 3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity		
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment		
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment		

- 4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
 - 7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

- 8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months.
- 9 The estimated capital cost of the project is Rs. 186.27 crores for Surjapur Fee Plaza. The Authority shall quaintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/677/11-12/CO/GC-Siliguri (447.0-498.970)]

B. B. MOHAPATRA, Director

Note: This is in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 13(E), dated the 5th January, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such